



प्रेस नोट

प्रेस नोट जनपद फतेहपुर

दिनांक 16.10.2025

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 01 किलो 174 ग्राम नाजायज गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.10.2025 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दौराने चेकिंग अभियुक्त राजू दुबे पुत्र कमला शंकर दुबे उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम खेसान थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर हाल पता सुभाष नगर गढ़िवा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर को 01 कि०ग्रा० 174 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 414/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय फतेहपुर रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. राजू दुबे पुत्र कमला शंकर दुबे उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम खेसान थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर हाल पता सुभाष नगर गढ़िवा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 414/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली फतेहपुर

2. मु0अ0सं0 742/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 202/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 409/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली फतेहपुर
5. मु0अ0सं0 313/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मलवां फतेहपुर

बरामदगी-

1. 01 कि0ग्रा0 174 ग्राम अवैध गांजा
2. एक मोटर साइकिल व एक अदद फोन
3. 450/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक तारकेश्वर राय थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर ।
2. उ0नि0 अखिलेश यादव
3. उ0नि0 अनीश शुक्ल
4. का0 कुलदीप सिंह
5. का0 राकेश कुमार
6. का0 प्रवेन्द्र कुमार

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर



प्रेस नोट

थाना खागा पुलिस द्वारा गोवध मुकदमें का वांछित अपराधी को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के कुशलनिर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय खागा के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री तेज बहादुर सिंह थाना खागा जनपद फतेहपुर द्वारा गठित टीम उ०नि० अम्बरीश मिश्रा , उ०नि० सौरभ सरोज, का० नवल सिंह परहिरार व का० राजकुमार यादव द्वारा मु०अ०सं० 214/24 धारा 3/5क/8 गो०नि० अधि० व 11 ड० पशु क्रूरता नि० अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अतीक पुत्र अजीज नि० नट डेरा हरदो थाना खागा फतेहपुर उम्र को गिरफ्तार कर मा०न्यायालय भेजा गया ।

अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त का नाम पता-अतीक पुत्र अजीज नि० ग्राम हरदो नट डेरा थाना खागा

फतेहपुर उम्र 30 वर्ष



गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ०नि० अम्बरीश मिश्रा
2. उ०नि० सौरभ सरोज
3. का० राजकुमार यादव
4. का० नवल सिंह परिहार

(तेज बहादुर सिंह)
प्रभारी निरीक्षक खागा
जनपद फतेहपुर